(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 4261–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–12–2012 पारित द्वारा न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक अपील आर.ई.सी./54/2011–12

मेसर्स कॉक्स इण्डिया लिमिटेड
नौगॉव जिला छतरपुर
द्वारा – प्रबंधक वीरेन्द्र सिंह भदौरिया

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा – उपायुक्त आबकारी,
संभागीय उड़नदस्ता सागर एवं अन्य

..... प्रत्यर्थी

.....

श्री नरेन्द्र किरार, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्रीमती नीना पाण्डे पेनल अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 2(सी) के अंतर्गत न्यायालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मै0कॉक्स इंडिया लिमि.नौगॉव जिला छतरपुर से सेमी आटोमेटिक प्लान्ट टीकमगढ पर परमिट कमांक 147 दिनांक 31–3–2009 द्वारा प्रेषित 12000 बल्क लीटर (19308.0 प्रूफ लीटर) रेक्टीफाईड स्प्रिट के परेषण के सत्यापन पर अनुमत्य हानि से 960.0 प्रुफ लीटर की अधिक मार्ग हानि पायी गई । अधिक मार्ग हानि के प्रकरण में सुनवाई करते हुये उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता सागर द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक

Provided that if it be proved to the satisfaction o the Excise Commissioner or the authorized officer that such excess deficiency or loss was due to some unavoidable causes like fire or accident and its first information report was lodged in concerned police station, he may waive the penalty imposable under this sub rule".

(2) This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया कि स्प्रिट मानव सेवन के लिये उपयोगी नहीं होती है । म0प्र0आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत स्प्रिट पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है । स्प्रिट की हानि पर कोई ड्यूटी या शास्ति नहीं लगाई जा सकती है । स्प्रिट की अधिक मार्ग हानि होने से राज्य शासन को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है । उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में जो शास्ति अधिरोपित की गई है वह अनुचित है । अंत में अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ प्रत्यर्थी शासन के पेनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यही कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाकर अपील खारिज की जाये व अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित 12000 बल्क लीटर रेक्टीफाईड स्प्रिट के परेषण मद्यभण्डागार टीकमगढ द्वारा सत्यापन करने पर 12000 बल्क लीटर पाया गया अर्थात् कुल बल्क लीटर में कोई कमी नहीं पाई गई । लेकिन रेक्टीफाईड स्प्रिट की तेजी सत्यापन पर 60.9 ओ.पी. के स्थान पर 52.9 ओ.पी. पाई गई । इस प्रकार आसवनी से प्रेषित 19308.0 प्रुफ लीटर मदिरा सत्यापन पर 18348.0 प्रुफ लीटर पाई

असफल रहा है कि मदिरा की हानि उसके नियंत्रण से परे हुई है अतः इस न्यायालयीन निर्णय का लाभ भी अपीलार्थी को इस प्रकरण में नहीं दिया जा सकता ।

7/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आबकारी आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–12–2012 विधिअनुकूल होने से यथावत् रखा जाता है । यह अपील अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर